न्यायालय : अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–14, जयपुर महानगर प्रथम, (मुख्यालय सांगानेर)।

पीठासीन अधिकारी	: डॉ0 सरोज कुमारी चौधरी, आर0जे0एस0
नियमित आपराधिक प्रकरण सं0	: 3607 / 2014
सी0आई0एस0 नम्बर	: 74 / 2020

राजस्थान राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी।

बनाम्

रमेश बैरवा पुत्र श्री मोती बैरवा, उम्र वयस्क, निवासी– ग्राम अरनियां मील, थाना मेंहदवास, जिला टोंक।

अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भा0द0संहिता

उपस्थित :–

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी राज्य की ओर से।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री धीरेन्द्र सिंह, अभियुक्त की ओर से।

नि र्ण य

दिनांक : **20.06.2026**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 6.8.2014 को परिवादी रामदयाल ने एक लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना मुहाना, जयपुर दक्षिण पर इस आशय की पेश की कि उसका छोटा भाई अशोक कुमार मीना जो कम्पाउंडर के पद पर साकेत हॉस्पिटल मानसरोवर में नौकरी करता था। कल दिनांक 5.8.2014 को ड्यूटी करने के बाद अपनी मोटरसाईकिल आरजे14–एएस–2338 से अपने घर रामपुरा रोड़ आ रहा था। रास्ते में एचपी पेट्रोल पम्प के पास एस्कॉन रोड़ पर देव तमन्ना मार्बल के सामने रात्रि समय करीब 8.30 पी0एम0 किसी अज्ञात वाहन ने तेज गति व लापरवाही से चलाकर उसके भाई के टक्कर मार दी, जिससे उसके भाई की मौके पर ही मौत हो गई तथा मोटरसाईकिल में भी काफी नुकसान हुआ। उसे घटना की सूचना कानाराम मीणा ने फोन पर दी थी। वह मौके पर पहुंच गया था। लाश को मौके से 108 एम्बुलेंस ले गयी। दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाईकिल को मौके से पुलिस थाने पर ले गयी...आदि। उक्त लिखित रिपोर्ट पर पुलिस थाना मुहाना, जयपुर दक्षिण पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 401 / 2014 दर्ज हुई, जिसमें बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अपराध धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता में जुर्म प्रमाणित मानते हुए न्यायालय में आरोप–पत्र पेश हुआ। जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 8.12.2014 को उपरोक्त अपराधों में प्रसंज्ञान लिये जाने से प्रकरण नियमित आपराधिक दर्ज रजिस्टर हुआ।2 अभियुक्त को अपराध धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता की विशिष्ठियों का सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप सारांश सुन व समझकर अपराध से इनकार किया व अन्वीक्षा चाही।

2 अभियोजन साक्ष्य में गवाह पीडब्ल्यू–01 रामदयाल मीणा, पीडब्ल्यू–02 डॉ0 विनय कुमार, पीडब्ल्यू–03 गोधाराम, पीडब्ल्यू–04 ओमप्रकाश मीणा, पीडब्ल्यू–05 हिम्मत सिंह, पीडब्ल्यू–06 प्रभूलाल, पीडब्ल्यू–07 सांवरमल, पीडब्ल्यू–08 राहुल, पीडब्ल्यू–09 मुकेश, पीडब्ल्यू–10 लक्ष्मण सिंह को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–01, लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–02, फर्द पंचायतनामा लाश प्रदर्श पी–03, फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी–04, फर्द निरीक्षण घटनास्थल प्रदर्श पी–05, फर्द निरीक्षण दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाईकिल प्रदर्श पी–06, पोस्टमार्टम8 रिपोर्ट मृतक प्रदर्श पी–07, चाक एफआईआर प्रदर्श पी–08, फर्द जब्ती मिनी ट्रक प्रदर्श पी–08, धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी–09, धारा 134 एमवी एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी–10, फर्द जब्ती कागजात मिनी ट्रक प्रदर्श पी–11 को प्रदर्शित करवाया गया।

3 अभियुक्त के बयान मुलजिम लिये गये। अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य का गलत होना, गवाहान का गलत कहना व झूठा फंसाया जाना कथन करते हुए प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश करने से इनकार किया।

4 उभय पक्षों बहस अंतिम सुनी गयी। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाना उचित दण्ड से दण्डित किया जावे। विरोध में अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि अभियोजन साक्ष्य दौराने प्रतिपरीक्षण खण्डित रही है। गवाहान की साक्ष्य में विरोधभास प्रकट हुआ है। गवाह पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित नहीं होते हैं। अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है तथा वह निर्दोष है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषमुक्त घ ाोषित किया जावे।

5 तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि–

"आया अभियुक्त ने दिनांक 5.8.2014 को रात्रि 8.30 पी0एम0 या उसके लगभग स्थान ईस्कॉन रोड़ देव तम्मना मार्बल के सामने वाहन मिनी ट्रक नम्बर आरजे26–जीए–1180 का चालक होते हुए वाहन को उतावलेपन व लापरवाहीपूर्वक तेज गति से चलाया जाकर मोटरसाईकिल नम्बर : आरजे14–एएस–2338 को टक्कर मारकर दुघ टिना कारित की, जिससे उस पर सवार आहत अशोक कुमार के कारित चोटों के फलस्वरूप उसकी आपराधिक मानव वध की कोटि में न आने वाली मृत्यु कारित हुई ?"

यदि हॉ तो, उचित दण्ड क्या हो ?

6 उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखा जाए तो गवाह पीडब्ल्यू–01 रामदयाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दी है कि दिनांक 5.8.2014 को उसका भाई अशोक कुमार जो साकेत हॉस्पिटल मानसरोवर में नौकरी करता था। शाम को

अपनी मोटरसाईकिल से घर आ रहा था। शाम करीब 8.30 पी0एम0 पर जब वो एच0पी0 पेट्रोल पम्प के पास पहुंचा तो एक ट्रक नम्बर : आरजे26– जीए–1180 ने उसके भाई की मोटरसाईकिल के टक्कर मारी, जिससे उसके भाई की मौके पर मृत्यु हो गयी। घटना की सूचना उसे कानाराम ने फोन पर दी थी। सूचना पर वह मौके पर पहुंचा था। वहॉ से उसके भाई को 108 एम्बूलेंस में अस्पताल ले गये थे। घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी–01 उसने दर्ज करायी थी। रिपोर्ट में उसने ट्रक के नम्बर इसलिए नहीं लिखवाये क्योंकि उस समय ट्रक के नम्बर पता नहीं चले थे। भाई का क्रियाक्रम करने के बाद जब मौके पर जाकर पूछताछ की तो दिनांक 26.8.2014 को उसने एक प्रार्थना–पत्र प्रदर्श पी–02 थानाधिकारी को पेश यिका था। मौके पर मुकेश, राहुल और बाबूलाल मीणा ने बताया था कि उसके भाई की मोटरसाईकिल के ट्रक नम्बर : आरजे26–जीए–1180 ने टक्कर मारी थी। पंचनामा प्रदर्श पी–03 पुलिस ने बनाया। फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी–04 है। नक्शा मौका प्रदर्श पी–05 उसके सामने बनाया था। फर्द निरीक्षण प्रदर्श पी–06 हैं। उक्त फर्दों पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने कथन किया है कि घटना के दिन वह गॉव ही था। घटना धटित होने के 20–11 दिन बादथाने में रिपोर्ट दर्ज करवायी थी। यह कहना सही है कि वक्त दुर्घटना वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था इसलिए नहीं बता सकता कि घटना किसकी गलती व लापरवाही से कारित हुई थी। ट्रक के नम्बर उसे मुकेश ने बताये थे। मुकेश के बताने पर ही ट्रक के नम्बर थाने में दर्ज करवाये थे। वह मुकेश को नहीं जानता है। रिपोर्ट दर्ज कराने वह थाने पर नहीं गया था। उसके बयान मौके पर ही हुये थे, थाने पर नहीं हुए। वह नक्शा मौका की कार्यवाही के बारे में नहीं समझता। उसके भाई के पास गाडी चलाने का लाइसेंस था। मोटरसाईकिल का था या फोर व्हीलर का था, पता नहीं है। यह कहना सही है कि उसने एफआईआर सोच–समझकर करवायी थी। वह नहीं बता सकता कि थाने पर पुलिस वालों ने कितने कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे। यह कहना गलत है कि क्लेम लेने के लिए ही उसने एफआईआर करवायी हो। उसने उसके भाई की मोटरसाईकिल को आखिरी बार थाने पर देखा था। वह नहीं बता सकता कि मोटरसाईकिल चालू हालत में थी या नहीं। वह नहीं बता सकता कि मोटरसाईकिल को थाने पर कितने बजे देखा था। वह नहीं बता सकता कि घटना के दिन वाहन कौन चला रहा था। दुर्घटनास्थल पर काफी साधनों की आवाजाही रहती है। वह नहीं बता सकता कि वक्त घटना उसके भाई ने हेलमेट लगा रखा था या नहीं। उसके भाई की घटनास्थल पर मृत्यु हो गयी थी। सूचना मिलते ही वह महात्मा गांधी अस्पताल में गया था। उसे प्रभूलाल मीणा ने बताया था कि उसका भाई महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती है।

7 पीडब्ल्यू–02 डॉ विनय कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दी है कि दिनांक 6.8. 2014 को एमजीएच अस्पताल में मेडिकल ज्युरिस्ट के पद पर पदस्थ था। उस दिन उसने पुलिस थाना मुहाना की तहरीर पर मृतक अशोक कुमार के शव का परीक्षण किया था। मृत्यु व मृतक पोस्टमार्टम की अवधि 12 से 24 घंटे की थी। पुलिस की सूचना के अनुसार दुर्घटना में

मृतयु होना बताया था। उसकी राय में मृत्यु का कारण अधिक रक्त स्त्राव जो कि बायें फेफडे तथा स्पलीन पर आयी एंटी मेरिटम चोट के कारण उत्पन्न हुआ था। यह चोट प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदश पी–07 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी राय है। छाती व पेट पर आयी आंतरिक व बाहरी चोट पेज नमबर 2 पर अंकित है। जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि पुलिस ने चोटें एक्सीडेंट में आना बतायी है। प्रदर्श पी–07 की चोटें गिरने–पडने से आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इलाज करने वाला डॉक्टर ही बता सकता है कि यदि समय पर इलाज प्राप्त हो जाता तो मृतय बच जाता।

8 पीडब्ल्यू–03 गोधाराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 06.08. 2014 को थाना मुहाना पर एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन एक्सीडेंट की इत्तला पर महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचा। जहॉ पर प्रार्थी रामदयाल मीणा ने एक तहरीरी रिपोर्ट पंचनामा बनाने के दौरान उसके समक्ष पेश किया जो प्र0पी01 है जिस पर ए से बी प्रार्थी के हस्ताक्षर है सी से डी कार्यवाही पुलिस अंकित है तथा ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं जिसे कार्यवाही पुलिस अंकित कर थाने भिजवाई जिस पर मु0नं0 401／14 धारा 279,304 ए आई पीसी में दर्ज कर तफ्तीश उसके जिम्मे की थी। फर्द पंचायतनामा प्र0पी03 है जिस पर ए से बी प्रार्थी रामदयाल के हस्ताक्षर है सी से डी , ई से एफ जी से एच आई से जे गवाहान के हस्ताक्षर है तथा के से एल उसके हस्ताक्षर हैं। रसीद सुपुर्दगीदार प्र0पी04 जिस पर ए से बी प्रार्थी रामदयाल के तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्र0पी0 7 प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। प्रार्थी रामदयाल द्वारा दिया गया प्रा0पत्र प्र0पी02 है जिस पर ए से बी रामदयाल के हस्ताक्षर है सी से डी उसका नोट अंकित है तथा ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। दौराने तफ्तीश प्रार्थी रामदयाल, बाबूलाल, राहुल तथा मुकेश के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्व किये। मोटरसाइकिल नं. आरजे 14 एएस2338 की फर्द निरीक्षण सुपुर्दगी प्र0पी06 तैयार कर शामिल पत्रावली की जिस पर ए से बी प्रार्थी रामदयाल के तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। घटनास्थल का नक्शा मौका प्र0पी05 मौके पर जाकर तैयार किया जिस पर ए से बी प्राार्थी रामदयाल के तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। उसके पश्चात् अग्रिम कार्यवाही हेतु थानाधिकारी के समक्ष पेश की। जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि उक्त दुर्घटना उसके सामने नहीं हुई थी। उक्त दुर्घटना ट्रक चालक की लापरवाही से हुई थी। आधी तफ्तीश उसकी की थी व आधी लक्ष्मण सिंह एएसआई साहब ने की थी। जहां तक उसने तफ्तीश की व गवाहों के बयानों के आधार पर उसने माना कि ट्रक चालक की लापरवाही है। प्रदर्श पी01 किसने लिखी थी, जानकारी में नहीं है। प्रदर्श पी03 उसकी कलमी मेरी है जो कि उसने महात्मा गांधी अस्पताल में तैयार की थी। प्रदर्श पी03 में केम्प का अंकन नहीं है। यह कहना सही है कि उक्त प्रकरण में गाडी का नं0 बाद में जोडा गया है क्योंकि प्रथम एफआईआर में गाडी का नं0 अंकित नहीं है। वह नहीं बता सकता है कि मोटरसाइकिल चालक ने हेलमेट लगा रखा हो। मोटरसाइकिल की आगे

की नं0 प्लेंट नही थी। ब्रेक टूटा हुआ था। जहां पर दुर्घटना कारित हुई वह भीडभाड वाला इलाका नहीं है वह 30 फीट रोड़ है। उसकी जानकारी में नहीं है कि मोटरसाइकिल चालक के पास डाइविंग लाईसेंस था या नहीं। गाडी का नं0 कितने दिनों बाद बताया उसकी जानकारी में नही है। मोटरसाइकिल चालक ने शराब पी रखी हो, उसकी जानकारी में नही है।

9 इसप्रकार पत्रावली पर आई साक्ष्य के उपरोक्तानुसार विवेचन, विशलेषण से प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण में एक रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 व प्रदर्श पी–2 रामदयाल द्वारा दर्ज करवाई गई थी। जिसमें दुर्घटना कारित वाहन के नंबर बताये है परन्तु उक्त वाहन के चालक का नाम नहीं बताया है। उक्त एफआईआरकर्ता रामदयाल पी.ड.1 के रूप में परीक्षित हुआ था जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में भी दुर्घटना कारित करने वाले वाहन ट्रक के नंबर तो बताये है परन्तु उक्त वाहन के चालक का नाम नहीं बताया है तथा घटना की सूचना कानाराम को फोन पर दिये जाने पर कानाराम के मौके पर पहुॅचना बताया है तथा मौके पर उपस्थित मुकेश, राहुल व बाबूलाल द्वारा उसके भाई की मोटरसाईकिल को ट्रक नंबर आर.जे.26 जीए 1180 के टक्कर मारे जाने का कथन किया है। उक्त गवाह ने दौराने जिरह ट्रक के नंबर मुकेश के बताये अनुसार थाने में दर्ज करवाये थे। वह नहीं बता सकता कि घटना के दिन कौनसा वाहन किस दिशा से आ रहा था। दुर्घटना स्थल पर काफी लोगों की आवाजाही होना बताया है। इस प्रकार उक्त गवाह ने केवल सुनी–सुनाई बातों के आधार पर साक्ष्य दी है तथा घटना की सूचना कानाराम को फोन पर दिये जाने का कथन किया है। कानाराम हस्तगत प्रकरण में महत्वपूर्ण गवाह था। जिसको अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह सूची में शामिल नहीं किया गया और न ही परीक्षित करवाया गया था। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित अन्य चश्मदीद गवाह पी.ड.8 राहुल व पी.ड.9 मुकेश ने जहॉ अपनी मुख्य परीक्षा में दुर्घटना कारित वाहन ट्रक के नंबर तो बताये है किन्तु दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक चालक द्वारा ट्रक को लेकर भाग जाने का कथन किया है तथा दौराने जिरह ट्रक वाले को नहीं देखे जाने का कथन किया है। इस प्रकार उक्त गवाह ने जहॉ दुर्घटना कारित वाहन ट्रक के नंबर तो बताये है परन्तु उक्त वाहन के चालक का नाम नहीं बताया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह पी.ड.4 ओमप्रकाश, पी.ड.6 प्रभुलाल मीणा, पी.ड.7 सांवरमल ने मृतक अशोक कुमार का पंचायतनामा प्रदर्श पी–3 के जरिये तैयार किये जाने का कथन किया है। इसके अतिरिक्त गवाह पी.ड.2 डॉ. विनय कुमार ने मृतक अशोक का शव परीक्षण कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी–7 तैयार किये जाने का कथन किया है। अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 3 गोधाराम व पी.ड.10 लक्ष्मण सिंह ने अनुसंधान के दौरान तैयार फर्दो को प्रदर्शित करवाकर औपचारिक गवाह साबित हुए है जिसमें से अनुसंधान अधिकारी पी.ड.10 लक्ष्मण सिंह ने अपनी साक्ष्य में एम.वी. एक्ट के नोटिस प्रदर्श पी 09 के अनुसार ट्रक मालिक कल्याणमल लुहार द्वारा ट्रक को रमेश बैरवा द्वारा चलाये जाने का कथन किया है जिसमें से धारा 133 एम.वी. एक्ट के नोटिस प्रदर्श पी 09 में उक्त दुर्घटना कारित वाहन का मालिक कल्याणमल लुहार महत्वपूर्ण गवाह था जिसको भी अभियोजन पक्ष की ओर से न तो गवाह सूची में शामिल किया गया है

और न ही उक्त गवाह को परीक्षित करवाया गया था और न ही नोटिस धारा 133 एम.वी.एक्ट प्रदर्श पी–9 की वाहन मालिक द्वारा ताईद करवाया है।

10 इस प्रकार हस्तगत प्रकरण मे अभियोजन पक्ष वरवक्त दुर्घटना वाहन संख्या आर जे 26 जीए 1180 टाटा 1109 को अभियुक्त रमेश बैरवा द्वारा चलाकर मृतक अशोक कुमार की मोटरसाईकिल को टककर मारी, साबित करने मे असफल रहने पर, वरवक्त दुर्घटना वाहन संख्या आर जे 26 जीए 1180 टाटा 1109 को अभियुक्त रमेश बैरवा द्वारा उक्त वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाए जाने के बिंदु पर विवेचन करने का कोई औचित्य नही है।

11 उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279, 304ए भा.द.सं. का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। लिहाजा अभियुक्त रमेश आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भा.द.सं. में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

फलतः अभियुक्त **रमेश** पुत्र मोती, निवासी ग्राम अरनियां मील थाना मेंहदवास जिला टोंक को आरोपित अपराध धारा 279, 304ए भा.द.सं. के अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में उसकी ओर से नियमित उपस्थिति बाबत् पेशशुदा जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन जो सुपुर्दगी पर दिया हुआ है, सुपुर्दगीनामा व जमातनामा बाद गुजरने मियाद अपील स्वतः निरस्त समझा जावे। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अपनी उपस्थिति बाबत धारा 437ए, द0प्र0स0 के तहत अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति हेतु दस–दस हजार रूपये के बंधपत्र व जमानतपत्र प्रस्तुत किये, जो कि छः माह की अवधि तक प्रवृत्त रहेंगे।

(डॉ0 सरोज कुमारी चौधरी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम–14,
जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर

. यह निर्णय आज दिनांक 20.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0 सरोज कुमारी चौधरी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम–14,
जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर